न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 45/22
जीसीएमएस नं. 2022/109

दायर दिनांक: 06.05.2022

उनवान

1 अखैराम पुत्र लक्ष्मन जाति माली नि. नंगला रौंधली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––वादी

बनाम

1 घनश्याम पुत्र रामदयाल 2 मंगती 3 सतीश पुत्रान दुण्डाराम 4 रोहित 5 छोटू पुत्रान बनवारी 6 तारा पत्नि बनवारी 7 शान्ति पुत्री मुरारी 8 सुफेदी पत्नि रामदयाल 9 पप्पू 10 मुकेश पुत्रान रामदयाल 11 रामचरन पुत्र मुकन्दी 12 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–
1. श्री सुरेन्द्र चौधरी ––वादी
2. श्री ओमप्रकाश व्यास ––प्रति. सं. 1,8,9,11

निर्णय दिनांक 19.01.2026

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 84 रकबा 0.21 हैक्टे. वाके ग्राम सैंधली तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें वादी 23/700 हिस्से का तथा शेष हिस्से पर मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075 लगायत 2078 में दर्ज हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है और इसी प्रकार से काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

वादग्रस्त आराजी के खातेदार मुरारीलाल, रामदयाल, महेश का स्वर्गवास हो गया है, जिसमें खातेदार मुरारीलाल के तरके पर प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7 एवं खातेदार रामदयाल के तरके पर प्रतिवादी संख्या 1, 8, 9, 10 व खातेदार महेश जो कि लाविला औलाद के फौत हो गया था, जिसके तरके पर उसके नजदीक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 8, 9, 10 काविज व दखील चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगातय 11 की संयुक्त काश्तकारी एवं संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अभी तक नहीं हुआ है। परन्तु वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण बाहमी मनवट के आधार पर विभाजित करते हुए अपने–2 हिस्से की आराजी पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है, जो आराजी पर बिना विभाजन कराये ही मौके की आराजी पर कब्जा करते हुए नींव खोदकर अपना पुख्ता निर्माण करना व आराजी को दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करना चाहता है और वादी को अच्छी एवं मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम करना चाहता है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को बिना विभाजन कराये निर्माण करने का व आराजी को रहन, वय व मुन्तकिल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावें तथा उक्त आराजीयात का कानूनी विभाजन उभय पक्षकारान के मध्य किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1, 8, 9, 11 की ओर से श्री ओमप्रकाश व्यास द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 व 10 की बाद तामील कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर वादी वकील को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2025/6637 दिनांक 30.10.2025 द्वारा अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया है कि वादी अखैराम पुत्र लक्ष्मन का हिस्सा 23/700 है। उक्त हिस्सानुसार वादी का रकबा 69 वर्ग मीटर आता है। जो कि एक एयर से भी कम है। उक्त खसरा नंबर 84 के सम्पूर्ण रकबा पर गैर कृषि कार्य दुकान, आबादी आदि है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन किया गया। तहसीलदार, भुसावर की रिपोर्ट के आधार पर भूमि एक एयर से कम होने के कारण विभाजन किया जाना संभव नहीं है। उक्त के आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०